

डिकी मुकदमा इस्तदाई
(ओ 20 रुल 6-7 जाखा दीवानी)
अज अदालत उध जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठारीन अधिकारी- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

1. कमरु पुत्र नजीर
2. नब्बू पुत्र नजीर
3. नसरु पुत्र नजीर
4. समसू पुत्र नजीर

जातियान भिश्ती निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादी)

दावा बावत इस्तकरारहक, नाम दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 व 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 88 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री छुट्टन लाल मीना एडवोकेट मिनकानिव गुदई रूबरु पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादी का दावा डिकी करते हुये ग्राम वैरोज स्थित आराजी ख0न0 597 एकरा 0.35 हे0 की हाल जमावन्दी मे खातेदार कमरु, नब्बू, नसरु, समसू पि0 वजीर के स्थान पर कमरु, नब्बू, नसरु, समसू पि0 नजीर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे।

* निज.....मुबलिंग.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

वसब्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21.10.2020 को जारी की गई।

दस्तखत (दुर्गा प्रसाद मीना)
ओहसखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					